

53



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्र.क / /2016 (रेस्टो) विविध 9273-416

श्री पी.के. तिवारी एड.
द्वारा आज दि. 3-12-16
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट 3-12-16

666 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
3-12-16

Shun
3-12-16

1. रामरूप गुप्ता पुत्र रामसागर गुप्ता
2. श्रीमती मानवती सोनी पुत्री स्वा श्री राम किशोर सोनी
3. श्रीमती देवी सोनी पुत्री स्वा श्री राम किशोर सोनी निवासीगण ग्राम कोटहा तह. गोपदवनास जिला सीधी
4. म.प्र. शासन

आवेदकगण

बनाम

राकेश कुमार अवधिया पुत्र श्री कृष्ण कुमार अवधिया निवासी ग्राम कोटहा तह गोवदवनास, जिला सीधी (म.प्र.)
अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते प्रकरण कमाक 823/II /2016 रिव्यू की रेस्टोर्ड किये जाने वावत्।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से प्र.क 823/II /2016 रिव्यू, रामरूप बनाम राकेश विचाराधीन था। जिसमें दिनांक 02.11.2015 कायमी पर तर्क हेतु नियत थी।
2. यह कि आवेदक अभिभाषक द्वारा दिनांक 02.11.2016 को प्रकरण में मूल प्रकरण संलग्न किये जाने का मोखिक निवेदन किया जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जिसमें आगामी पेशी 11.11.2016 नियत कर रीडर को मूल फाईल संलग्न किये जाने के निर्देश गये थे एवं तारीख पेशी 11.11.2016 नियत की गई थी।
3. यह कि दिनांक 11.11.2016 से पूर्व अवेदकगण द्वारा अपने अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी एड. ग्वालियर को निर्देश फोन पर दे दिये गये थे जिस पर अभिभाषक महोदय, द्वारा यह कहा गया था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मैं तर्क कर दूंगा।
4. यह कि दिनांक 11.11.2016 को आवेदक अभिभाषक श्री पी.के. तिवारी माननीय

स्थान तथा दिनांक	राजस्व/राजस्व कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं उ भभावक आदि के हस्ताक्षर
<p>20.1.17</p> <p>25/1/17</p> <p>7.2.17</p>	<p>न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर का प्रकरण क्रमांक 823-दो/2016 पुनरावलोकन आदेश दिनांक 11-11-16 से पीठान अधिकारी कोर्ट-2 द्वारा अदम पैरबी में निरस्त किया है, जिसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदकगण के अभिभाषक ने समक्ष में उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई की मांग की। इसी क्रम में प्रकरण मँगाकर देखा गया। मामला संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय होना है जिसके कारण मूल पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में सुनवाई कर निर्णय लेना नीतिगत है। अतः प्रकरण नियमित पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाय।</p> <p>पेशी 25-1-17</p> <p>सदस्य</p> <p>आवेदक अधिवक्ता का-पदो कोठेवादी इपस्थित/उलकेडाली निरनरामपुई वक- पुकावा में पेशी कोठेवादी न्यायाधीश में समक्ष डिन/आदी.डी.ए C.F. 7/1/17</p> <p>आवेदक अधिवक्ता का-पदो कोठेवादी इपस्थित। उरवे तरे बुनी। अधिवक्तापद प्रकरण सेक्टोई रिकार जाता है। उरवे रिकार प्रकरण 823-दो/16 पुनः नम्बर पर रिकार जाता है। प्रकरण <वकैत रिकार है।</p>	<p>7-2-17</p> <p>पक्षकारों एवं उ भभावक आदि के हस्ताक्षर</p>